संख्या:163/2021/1519/35-4-2021

प्रेषक,

विवेक,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
प्रतापगढ़।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक: 01 अक्टूबर, 2021

विषय: वित्तीय वर्ष 2021-22 में त्वरित आर्थिक विकास योजनांतर्गत धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के क्रम में जनपद-प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र-पट्टी में राजकीय पॉलीटेक्निक, कहैनिया, पट्टी, प्रतापगढ़ के भवन निर्माण कार्य की त्वरित आर्थिक विकास योजना से शासनादेश संख्या-13/2020/252/35-4-2020, दिनांक 17 फरवरी, 2020 द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए निर्माण कार्य की अनुमोदित लागत रू. 1792.56 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू.200.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी। वित्तीय वर्ष 2020-21 में शासनादेश संख्या-29/2021/585/35-4-2021 दिनांक 04 मार्च, 2021 द्वारा प्रश्नगत कार्य हेतु द्वितीय किश्त के रूप में रू. 268.88 लाख की धनराशि अवमुक्त की की गई। इस प्रकार प्रश्नगत कार्य हेतु अब तक कुल रू. 468.88 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। जनपद द्वारा पत्र संख्या-पत्र संख्या- 606/त्व0आ0वि0यो0/2019-20, दिनांक 12 अगस्त, 2021 एवं पत्र सं0- 211/त्व0आ0वि0यो0/2021-22, दिनांक 20 सितम्बर, 2021 द्वारा प्रश्नगत कार्य हेतु उक्त शासनादेशों से पूर्व में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष 75 प्रतिशत से अधिक धनराशि का उपभोग होना इंगित किया गया है। एतदद्वारा उपर्युक्त शासनादेश द्वारा स्वीकृत कार्य की अनुमोदित लागत के सापेक्ष पूर्व में अवमुक्त धनराशि को समायोजित करते हुए तृतीय किश्त के रूप में रू. 875.54 लाख (रूपये आठ करोड़ पचहत्तर लाख चौवन हजार मात्र) को निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की, श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(लाख रू. में)

कार्य	अनुमोदित लागत	पूर्व में अवमुक्त धनराशि	अवमुक्त की जा रही धनराशि
राजकीय पॉलीटेक्निक, कहैनिया, पट्टी, प्रतापगढ़ का भवन निर्माण	1792.56	468.88	875.54

1- सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 17 फरवरी, 2020 एवं दिनांक 04 मार्च, 2021 की शर्ते यथावत लागू रहेंगी।
2- प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दी जायेगी।
3- परियोजना के लिये स्वीकृत धनराशि ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी और तदनुसार कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।
4- इस शासनादेश से उक्तग कार्य के लिए अनुमोदित लागत के सापेक्ष 75 प्रतिशत की सीमा तक धनराशि का आवंटन किया गया है। कार्यो को मानकों के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ताष के साथ स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत वृद्धि अनुमन्यक नहीं होगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5- स्वीकृत धनराशि का आहरण कर सदुपयोग सुनिश्चित किया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त/अनाहरित बचती है तो उसे 31 मार्च, 2022 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि धनराशि का पूरा लेखा-जोखा 31 मार्च, 2022 तक नियोजन अनुभाग-4 को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

6- राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उ0प्र0 में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून,2022 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

7- कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था द्वारा सम्परीक्षित लेखे अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराये जायेंगे।

8- वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए स्वीकृत बजट के सापेक्ष उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय वित्ति (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या:3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021 दिनांक 22 मार्च, 2021 में उल्लिखित शर्तो एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उपर्युक्त मद पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय व्ययक के अनुदान संख्या-40 के लेखाशीर्ष-4202-शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-02-तकनीकी शिक्षा-104-बहुशिल्प-03-त्वरित आर्थिक विकास योजना-0302-राजकीय पॉलीटेक्निक भवन निर्माण के चालू कार्य-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा ।

3- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021 दिनांक 22 मार्च, 2021 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अनुक्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(विवेक)
विशेष सचिव।

संख्या:163/2021/1519(1)/35-4-2021 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,प्राविधिक शिक्षा विभाग।
4- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त।
5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
6- निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी।
7- मण्डलायुक्त, प्रयागराज मण्डल।
8- निदेशक, प्राविधिक शिक्षा विभाग, कानपुर, उत्तर प्रदेश।
9- प्रबन्ध निदेशक,सी0एण्ड डी0एस0,उ0प्र0 जल निगम,टी0सी0-38बी, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
10- मुख्य विकास अधिकारी,प्रतापगढ़।
11- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, प्रतापगढ़।
12- गार्ड फाईल।
13- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
14- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, प्रतापगढ़।
15- परियोजना प्रबन्धक, यूनिट-10, सी0एण्ड डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम, प्रयागराज।

आज्ञा से,

(विवेक)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।